(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 992–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 174/अपील/2013–14.

राजकुमारी पुत्री जयराम साहू पत्नी चन्द्रकेश साहू
निवासी ग्राम ढेका तहसील माड़ा जिला सिंगरौली
म0प्र0

——— अपीलार्थी

विरूद्ध

1. बृजमोहन साहू पिता रामलल्लू साहू
2. बद्री नारायण साहू पिता रामलल्लू साहू
   दोनों निवासी ग्राम हिरवाह तहसील सिंगरौली
   जिला सिंगरौली म0प्र0
3. रामलल्लू साहू तनय जयराम साहू
   निवासी ग्राम हिरवाही, तहसील व
   जिला सिंगरौली म0प्र0
4. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर सिंगरौली म0प्र0

——— प्रत्यर्थीगण

.....

श्री अनूपदेव पाण्डे, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री आर0डी0 कुशवाह, अभिभाषक प्रत्यर्थी कं. 1 से 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/2017 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 16–1–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम हिर्रवाह की आ0नं0 1451 करवा 0.16 है पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वारिसाना नामांतरण के बजाय फर्जी एवं मनगढ़त वसीयत के आधार नामांतरण कर दिया। अपीलार्थी द्वारा वारिसाना नामांतरण हेतु मांग की। कलेक्टर सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक 15/बी–121/09–10 पंजीबद्ध कर दिनांक 27–10–09 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रश्नागत आराजी के संबंध में नियमानुसार वारिसाना नामांतरण कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर सिंगरौली के आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी कमांक 1 एवं 2 द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 16–1–2014 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर द्वारा बिना प्रत्यर्थीयों को सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये सीधे ही अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है। इस प्रकरण में मुख्य रूप विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कलेक्टर को शिकायती आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर बिना प्रत्यर्थीयों को सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करना उचित था?

अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर सिंगरौली को शिकायती आवेदन पेश किया था जिसे कलेक्टर द्वारा प्रकरण मानकर पंजीबद्ध करने में वैधानिक त्रुटि की है क्योंकि बिना विधिवत

अपील/निगरानी प्रस्तुत करने पर कलेक्टर को प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही को उचित नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि कोई पक्षकार तहसील न्यायालय के आदेश के हितबद्ध है तो उसके विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा विधि के प्रावधान अनुसार तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत न करके कलेक्टर के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। कलेक्टर द्वारा शिकायती आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया प्रत्यर्थीयों को सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी पक्षकार के विरूद्ध उसे सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इन्हीं कारणों से कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थीयों द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने विधिवत दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में न्यायसंगत कार्यवाही की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 16–1–2014 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर